संख्या-2/2022/237452/60-1099/13/2020

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
14-बी, माल एवेन्यू,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊःदिनांक 23 मार्च, 2022**

विषयः- आयोग के कार्यालय भवन किराये अनुबंध के नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् अपने पत्र संख्या-रा0ब0अ0/1117/लेखा/ 2021-22, दिनांक 15.12.2021 तथा पत्र संख्या-रा0ब0अ0/1379/लेखा/ 2021-22, दिनांक 17.02.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ के कार्यालय भवन संख्या-14-बी, माल एवेन्यू के किराया अनुबंध के नवीनीकरण कराते हुये बकाया धनराशि का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यालय भवन संख्या-14-बी माल एवेन्यू, उ0प्र0, लखनऊ के पूर्व में किये गये अनुबन्ध पत्र की शर्तों के अधीन 11 माह हेतु भवन किराया अनुबंध के नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान करते हुये पूर्व निर्धारित दर से दिनांक 11.03.2021 से 10.02.2022 तक के किराया भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।